ालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0:- 15 /2021 तारीखरजू:- 19-1-21

उनवान:- बाबूलाल बनाम कमलेश वगै0

दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा 188 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम	
-1-21	वादी की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट ने दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा प्रस्तुत करने के समय ही प्रतिवादी न0 1 कमलेश पुत्र मोतीलाल जागिड ब्राह्मण की ओर से श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट ने मीमो पेश कर इस पत्रावली मे उपस्थिति दर्ज कराई। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक ~~18.01.2021~~ 24.2.21 को पेश हो। (दुर्गा प्रसाद मीना) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	260-64 19-1-21
2.2.21	वादी एवं वादी वकील ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि वादपत्र में टाईपिंग मिस्टेक से वादग्रस्त आराजी का ग्राम धवान दर्ज हो गया है जबकि उक्त आराजी ग्राम कमालपुरा मे है। विषय वस्तु परिवर्तित हो गई है। इसलिए पत्रावली सुनवाई तिथी 24.2.2021 से तलब कर पुन: नया दावा पेश करने की इजाजत देते हुए दावा विड्रो करने की अनुमति प्रदान करें। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वादी वकील एवं वादी को सुना गया। पत्रावली तलब की गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुन: नया दावा प्रस्तुत करने की इजाजत देते हुए यह दावा विड्रो करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला-करौली	पा.रत.क.जांचि Rd.